[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2016

सा.का.नि. ....- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 366 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 (जिन्हें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में,

(क) नियम 1 में उपनियम (1) के लिए निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"(1) कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014"

(ख) नियम 2 में, उपनियम (1) के उपखंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा,

(छ) "फर्म" से भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) की धारा 4 में यथापरिभाषित फर्म अभिप्रेत है;

3. मूल नियमों के नियम 3 में, उपनियम (2) में,-

(i) खंड (क),-

(क) उपखंड (i) में "सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार थे" शब्दों के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी अथवा फर्म, जैसा भी मामला हो, के भागीदार थे" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपखंड (iv) में, "सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों के पते" शब्दों के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी अथवा फर्म, जैसा भी मामला हो, के भागीदारों के पते" शब्द रखे जाएंगे।

(ग) उपखंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्-

"फर्म के मामले में, भागीदारी विलेखों, उपविधियों या कंपनी का गठन या विनियमन करने वाली अन्य लिखत और जो उपनियम (4) में उपबंधित रीति में सम्भवत: सत्यापित हैं और यदि भागीदारी विलेख गत समय में किसी भी समय पुनरीक्षित किया गया था, यदि फर्म रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सहित मूल और सभी पश्चातवर्ती, जिनमें नवीनतम विलेख भी हैं, की प्रतिया";

(घ) उपखंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,-

"(ix) एक वचनबंध कि प्रस्तावित निदेशक, यथा लागू, भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे;

(x) सीमित दायित्व भागीदारी अथवा फर्म, जैसा भी मामला हो, की आस्तियों तथा दायित्वों का एक विवरण जो प्ररूप यूआरसी-1 की फाइलिंग की तारीख के अधिकतम 30 दिनों से पूर्व की अवधि का न हो और जिसे व्यवसायरत् चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विहित रूप से सत्यापित किया गया हो।"।

(xi) सीमित दायित्व भागीदारी अथवा फर्म, जैसा भी मामला हो, के अद्यतन आयकर विवरणी की एक प्रति।"।

(ii) खंड (ख) में,-

(क) उपखंड (iv) में "सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों के पते" शब्दों के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी अथवा फर्म, जैसा भी मामला हो, के भागीदारों के पते" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपखंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्-

"(v) कंपनी के गठन या विनियमित करने वाली लिखत की प्रति जो उपनियम (4) में उपबंधित रीति में सम्भवत: सत्यापित है और यदि भागीदारी विलेख

गत समय में किसी भी समय पुनरीक्षित किया गया था, यदि फर्म रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सहित मूल और सभी पश्चातवर्ती, जिनमें नवीनतम विलेख भी हैं, की प्रतियां";

(ग) उपखंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किये जाएंगे, अर्थात्,-

"(ix) एक वचनबंध कि प्रस्तावित निदेशक, यथा लागू, भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे;

(x) सीमित दायित्व भागीदारी अथवा फर्म, जैसा भी मामला हो, की आस्तियों तथा दायित्वों का एक विवरण जो प्ररूप यूआरसी-1 की फाइलिंग की तारीख के अधिकतम 30 दिनों से पूर्व की अवधि का न हो और जिसे व्यवसायरत् चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विहित रूप से सत्यापित किया गया हो;

"(xi) सीमित दायित्व भागीदारी अथवा फर्म, जैसा भी मामला हो के अद्यतन आयकर विवरणी की एक प्रति।"।

4. (i) मूल नियमों के नियम 3 में उपनियम (3) के लिए निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"(3) सभी सदस्यों या भागीदारों से एक वचन पत्र कि अधिनियम के अध्याय-XXI के भाग-I के अंतर्गत किसी कंपनी का पंजीकरण होने की स्थिति में फर्म के रूप में इसके विघटन के लिए, पंजीकरण या अन्य प्राधिकारी को, जिसमें कंपनी पहले पंजीकृत की गई थी, को अपेक्षित दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत किए जाएंगे"

(ii) उपनियम (4) में "सीमित दायित्व भागीदारी के पदाविहित भागीदार" शब्दों के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी के पदाविहित भागीदार अथवा फर्म के प्राधिकृत भागीदार, जैसा भी मामला हो" शब्द रखे जाएंगे।'।

5. मूल नियमों के नियम 4 में उपनियम (1) में,- "जिले, जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी है, की एक प्रांतीय भाषा में और एक अंग्रेजी समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा उस जिले में परिचालित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "जिले, जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी या फर्म, जैसा भी मामला हो, है, की एक प्रांतीय भाषा में और एक अंग्रेजी समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा उस जिले में परिचालित किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे।

6. मूल नियमों के नियम 5 में,-

(क) खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(i) जहां फर्म ने धारा 367 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त किया है वहां इस आशय की एक सूचना, संबंधित फर्मों के रजिस्ट्रार, जिसके अधीन वह मूलतः रजिस्ट्रीकृत थी, को ऐसे रजिस्ट्रीकरण के पंद्रह दिन के भीतर दी जाएगी जिसके साथ फर्म के रूप में इसके विघटन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ लगाए जाएंगे।"

(ख) खंड (iii) में "संबंधित रजिस्ट्रार (सी.दा.भा.)" शब्दों के स्थान पर "फर्मों के रजिस्ट्रार" शब्द रखे जाएंगे और "कंपनी रजिस्ट्रार (सी.दा.भा.)" शब्दों के स्थान पर "फर्मों के रजिस्ट्रार" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (v) में "सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा अथवा उसके विरूद्ध कार्यवाहियों का एक विवरण, जैसा भी मामला हो" शब्दों के स्थान पर "सीमित दायित्व भागीदारी अथवा फर्म द्वारा अथवा उसके विरूद्ध कार्यवाहियों का एक विवरण, जैसा भी मामला हो" शब्द रखे जाएंगे;

7. प्ररूप संख्या यूआरसी-1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप संख्या यूआरसी-1 रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्रपत्र सं. यूआरसी-1

[कंपनी अधिनियम की धारा 366 के साथ पठित कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 3(2) के अनुसरण में]

सत्यमेव जयते

कंपनी द्वारा धारा 366 के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र (फर्म से कंपनी और सीमित दायित्व भागीदारी से कंपनी में संपरिवर्तन के लिए)

प्रपत्र की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिन्दी

प्रपत्र भरने के लिए निदेश देखें।

1. (क) *प्रपत्र आईएनसी-1 का एसआरएन .... **(पहले से भरा हुआ)**
   (ख) पंजीकरण संख्या (यदि हो ....)

2. (क) *अस्तित्व का प्रकार ....
   'अन्य' स्पष्ट करें ....
   (ख) *अस्तित्व का नाम ....
   (ग) *अस्तित्व के सद्यों की संख्या .... आवेदन की तारीख को
   (घ) प्रस्तावित कंपनी का नाम..

3. (क) प्रस्तावित कंपनी की श्रेणी...
   *(ख) क्या कंपनी के सदस्यों की देयता कंपनी अधिनियम के अलावा संसद के अन्य अधिनियम द्वारा सीमित है 0 हां 0 नहीं

4. (क) *अस्तित्व के गठन की लिखत की तारीख ....
   (ख) *लिखत का विवरण .... (तिथि/माह/वर्ष)

5. (क) अब तक लिए गए शेयरों की संख्या
   सामान्य ....
   अधिमान ....
   (ख) प्रत्येक शेयर पर दी गई राशि
   सामान्य ....
   अधिमान ....

6. (क) गारंटी की राशि घोषित करने के लिए संकल्प परित करने की तारीख ....
(ख) प्रत्येक सदस्य द्वारा ली गई गारंटी के विवरण ....

7. *सीमित देयता के साथ पंजीकरण हेतु सहमति देते हुए संकल्प पारित करने वाला आम बैठक की तारीख .... (तिथि/माह/वर्ष)

8. *विशेष संकल्प पारित करने के विवरण और आम बैठक का स्थान ....

9. *संपत्ति (नीलामी योग्य दावे सहित चल अथवा अचल) की कुल राशि ....

10. *क्या अस्तित्व या उसके किसी लोक अधिकारी या सदस्य द्वारा अथवा उसके विरूद्ध कोई मुकदमा अथवा कानूनी कार्रवाई लंबित है 0 हां 0 नहीं

यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दे

....

....

11.(i) क्या अस्तित्व का आवेदन की तारीख को कोई सुरक्षित ऋण बकाया है 0 हां 0 नहीं
(ii) कुल बकाया राशि का उल्लेख करें ....

संलग्नकों की सूची

संलग्नक

1.*सदस्यों/भागीदारों के ब्यौरे और उनके द्वारा धारित शेयरों के विवरण **(संलग्न करें)**

2.*दो अथवा अधिक निदेशकों की घोषणा जिसमें सभी सदस्यों/ भागीदारों के विवरण सत्यापित किए गए हो; **(संलग्न करें)**

3.*अस्तित्व के विघटन के लिए सभी सदस्यों/भागीदारों से प्राप्त शपथपत्र; **(संलग्न करें)**

4. *अस्तित्व का गठन अथवा नियमन करने वाली लिखत की प्रतिलिपि; **(संलग्न करें)**

5. *अस्तित्व के पंजीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति; यदि कोई हो **(संलग्न करें)**

6.*समाचार पत्र विज्ञापन की प्रति; **(संलग्न करें)**

7.* स्टाम्प शुल्क, जहां तक लागू हो, के सभी उपबंधो का अनुपालन प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट/कंपनी सचिव/ कंपनी लागत लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र; **(संलग्न करें)**

8.बहुमत सदस्यों की सहमति; **(संलग्न करें)**

9. इस भाग के अंतर्गत पंजीकरण के लिए सहमत कम से कम तीन-चौथाई सदस्यों की सहमति; **(संलग्न करें)**

10. संबंधित फर्मों के रजिस्ट्रार अथवा कंपनी रजिस्ट्रार (सी.दा.भा.) से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र; **(संलग्न करें)**

11. सुरक्षित ऋणदाताओं द्वारा दिया गया अनापत्ति प्रमाणपत्र/सहमति **(संलग्न करें)**

12. कंपनी के लेखाओं का विवरण, जो आवेदन की तारीख से कम से कम 30 दिन पहले तैयार किया गया हो और लेखापरीक्षक द्वारा, यदि लागू हो, विधिवत प्रमाणित हो; **(संलग्न करें)**

13. गारंटी की राशि घोषित करने वाले संकल्प की प्रति; **(संलग्न करें)**

14. *भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अपेक्षाओं के अनुसरण में वचनबंध **(संलग्न करें)**

15. *फर्म के अंतिम आयकर विवरणी की प्रतिलिपि **(संलग्न करें)**

16. वैकल्पिक संलग्नक (यदि हों) ; **(संलग्न करें)**

संलग्नक हटाएं

घोषणा-पत्र

मैं .... अनुच्छेद में नामित व्यक्ति (ड्रॉप डाउन-वैल्यूसः निदेशक/ कंपनी सचिव/प्रबंधक) घोषणा करता हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का इस प्रपत्र की विषय वस्तु के संबंध में अनुपालन किया गया है। मुझे संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य संप्रवर्तकों द्वारा तथा प्रथम निदेशकों द्वारा इस घोषणापत्र को देने तथा इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। यह भी घोषणा व सत्यापन किया जाता है कि

1. इस प्रपत्र और इसके संलग्नकों में दी गई सूचना वास्तविक, सही तथा पूर्ण है और इस प्रपत्र की विषयवस्तु की कोई सूचना का दमित अथवा छिपाई नहीं गई है और संगम

ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद पर हस्ताक्षर करने वाले संप्रवर्तकों द्वारा रखे जा रहे मूल रिकार्डों के अनुसार है

2. सभी अपेक्षित संलग्नक पूर्ण हैं और इस
   *प्रपत्र के साथ संलग्न हैं।

***डिजीटल हस्ताक्षर के लिए**

*पदनाम .... (डीएससी बॉक्स)

*निदेशक का डिन; प्रबंधक का डिन अथवा स्थायी लेखा सख्यांक (पैन); अथवा कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या........................

व्यवसायरत वृत्तिक द्वारा प्रमाण पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन के लिए विधिवत् नियुक्त किया गया है। मैं यह प्रमाणित करता हूं कि मैंने इस प्ररूप से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और नियमों की जांच की है और उपर्युक्त विवरण (संलग्नक सहित) की कंपनी/आवेदक द्वारा रखे जा रहे मूल अभिलेखों से जांच की है जो कि इस प्ररूप की विषयवस्तु है और इसे सही, सत्य और पूर्ण पाया है तथा इस प्ररूप की कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपाई नहीं गई है।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि:

i. उक्त अभिलेख समुचित ढंग से तैयार किया गए हैं, कंपनी के अपेक्षित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार रखे जा रहे हैं तथा इन्हें क्रम में पाया गया;
ii. सभी अपेक्षित संलग्नक पूरे कर लिए गए हैं और इस स्पष्ट रूप से इस प्ररूप के साथ संलग्नक किए गए हैं।

***डिजिटल हस्ताक्षर के लिए**

0 चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक प्रैक्टिस) या 0 लागत लेखाकार (पूर्णकालिक प्रैक्टिस) या
0 कंपनी सचिव (पूर्णकालिक प्रैक्टिस)

*सहायक या फैलो 0 सहायक 0 फेलो

*सदस्यता संख्या ....

*प्रैक्टिस संख्या का प्रमाण पत्र ....

टिप्पणीः धारा 448 और 449 के उपबंधों जिनमें क्रमशः झूठे विवरण/प्रमाणपत्र के लिए दंड और झूठे साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

संशोधित करें **फार्म चैक करें** **पूर्व संवीक्षा** **प्रस्तुत करें**

कार्यालय प्रयोग के लिएः दाखिल विवरण लगाएं

ई-प्रपत्र सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) .... ई-प्रपत्र दाखिल करने की तारीख .... (तिथि/माह/वर्ष)

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का डिजीटल हस्ताक्षर

यह ई-प्रपत्र एतद्द्वारा पंजीकृत .... प्रस्तुत करने की पुष्टि करें

हस्ताक्षर की तारीख .... (तिथि/माह/वर्ष)

[फा.सं.1/35/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधार, भाग-2, खंड-3, उपखंड (1) में 31 मार्च, 2014 की सा.का.नि.257(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Government of India

Ministry of Corporate Affairs

NOTIFICATION

New Delhi, 31st May, 2016

G.S.R. .—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 read with section 366 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Authorised to Registered) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Authorised to Register) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Authorised to Registered) Rules, 2014(herein after referred to as the principal rules),-

(a) in rule 1, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Companies (Authorised to Register) Rules, 2014."

(b) in rule 2, in sub-rule (1), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely :-

(g) "firm" means a firm as defined in section 4 of the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932);

3. In rule 3 of the principal rules, in sub-rule(2),-

(i) clause (a),-

(A) in sub-clause (i), for the words "were partners of the Limited Liability Partnership", the words "were partners of the Limited Liability Partnership or firm as the case may be" shall be substituted;

(B) in sub-clause (iv), for the words "addresses of the partners of the Limited Liability Partnership", the words "addresses of the partners of the Limited Liability Partnership or firm as the case may be" shall be substituted;

(C) for sub-clause (v) the following sub-clause shall be substituted namely:-

"(v) in case of a firm, deeds of partnership, bye laws or other instrument constituting or regulating the company and duly verified in the manner provided in sub-rule (4) and in case the deed of partnership was revised at any time in the past, copies of the principal and all subsequent deeds including the latest deed, along with the certificate of the registration issued by Registrar of firms, in case the firm is registered".

(D) after sub-clause (viii), the following sub-clauses shall be inserted;

"(ix) an undertaking that the proposed directors shall comply with the requirements of Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) as applicable;

(x) a statement of assets and liabilities of the Limited Liability Partnership or the firm, as the case may be, duly certified by a chartered accountant in practice made as on a date not earlier than thirty days of the filing of form no.URC-1;

(xi) a copy of latest income tax return of the Limited Liability Partnership or firm as the case may be."

(ii) in clause (b),-

(A) in sub-clause (iv), for the words "addresses of the partners of the Limited Liability Partnership", the words "addresses of the partners of the Limited Liability Partnership or firm as the case may be" shall be substituted;

(B) for sub-clause (v), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(v) a copy of instrument constituting or regulating the company and duly verified in the manner provided in sub-rule (4) and in case the deed of partnership was revised at any time in the past, copies of principal and all the subsequent deeds including the latest deed, along with the certificate of the registration issued by Registrar of firms if any";

(C) after sub-clause (viii), the following sub-clauses shall be inserted;

"(ix) an undertaking that the proposed directors shall comply with the requirements of Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899);

(x) a statement of assets and liabilities of the Limited Liability Partnership or the firm, as the case may be, duly certified by a chartered accountant in practice which is made as on a date not earlier than thirty days of the filing of form no.URC-1;

(xi) a copy of latest income tax return of the Limited Liability Partnership or firm as the case may be."

4. (i). in rule 3 of the principal rules, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely;-

"(3) An undertaking, from all the members or partners providing that in the event of registration as a company under Part I of Chapter XXI of the Act, necessary documents or papers shall be submitted to the registering or other authority with which the company was earlier registered, for its dissolution as a firm"

(ii) in sub-rule (4) for the words "designated partners of the Limited Liability Partnership" the words "designated partners of the Limited Liability Partnership or authorised partners of the firm as the case may be" shall be substituted'

5. in rule 4 of the principal rules, in sub-rule (1), for the words "in a newspaper and in English and in the principal vernacular language of the district in which Limited Liability Partnership is in existence and circulated in that district" the words "in a newspaper in English and in ay vernacular language, circulating in the district in which Limited Liability Partnership or the firm as the case may be is situate shall be substituted".

6. in rule 5 of the principal rules,-

(A) for clause (i) the following clause shall be substituted;

"(i) where a firm has obtained a certificate of registration under section 367, an intimation to this effect shall be given, within fifteen days of such registration to the concerned Registrar of firms under which it was originally registered, along with papers for its dissolution as a firm";

(B) in clause (iii) for the words "concerned Registrar (LLP)" the words "Registrar of firms" and for the words "Registrar of Companies (LLP), the words "Registrar of Firms" shall be substituted;

(C) in clause (v) for the words "a statement of proceedings, if any, by or against the Limited Liability Partnership", the words "a statement of proceedings, if any, by or against the Limited Liability Partnership or the firm as the case may be" shall be substituted;

7. for Form No.URC-1, the following FormNo.URC-1 shall be substituted, namely:-

FORM NO. URC-1

[Pursuant to rule 3(2) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014 read with section 366 of The Companies Act, 2013

सत्यमेव जयते

Application by a company for registration under section 366 (conversion from firm into company, and LLP into company)

Form language (•) English ( ) Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. (a) *SRN of Form INC-1 [ ] Pre-fill

   (b) Registration number (if any) [ ]

2. (a) *Type of entity [ ]

   (b) *Name of the entity [ ]

   (c) *Number of members in the entity [ ] as on the date of application

   (d) Name of the proposed company [ ]

3. (a) Category of the proposed company [ ]

   (b) *Whether liability of the members of the company is limited by any Act of Parliament other than Companies Act ( ) Yes ( ) No

4. (a) *Date of instrument constituting the entity [ ] (DD/MM/YYYY)

   (b) *Description of the instrument

   [ ]

5. (a) Number of shares taken up to date

   Equity [ ]

   Preference [ ]

   (b) Amount paid on each share

   Equity [ ]

   Preference [ ]

6. (a) Date of passing resolution for declaring the amount of guarantee [ ]

   (b) Particlulars of guarantee taken up by each member

   [ ]

7. *Date of general meeting passing the resolution assenting to registration [ ] (DD/MM/YYYY) with limited liability

8. *Particulars of passing special resolution and the place of general meeting

   [ ]

9. *Total amount of the property (whether movable or immovable including actionable claims) [ ]

10. *Whether any suit or legal proceedings taken by, or pending against the entity, or any public officer or member thereof ( ) Yes ( ) No

If Yes, give brief details

11. (i) *Whether entity has any secured debt outstanding as on the date of application ◯ Yes ◯ No

(ii) *Mention the total outstanding amount [ ]

Attachments

List of attachments

1. *Particulars of members/partners along with the details of shares held by them; Attach
2. *Declaration of two or more directors verifying the particulars of all members/partners; Attach
3. *Affidavit from all the members/partners for dissolution of the entity; Attach
4. *Copy of the instrument constituting or regulating the entity; Attach
5. *Copy of certificate of registration of the entity; if any; Attach
6. *Copy of Newspaper advertisement; Attach
7. *Certificate from a CA/CS/CWA certifying the compliance with all the provisions of Stamp Act, to the extent applicable; Attach
8. Consent of majority of members; Attach
9. Consent of at least three-fourth of members agreeing for registration under this part; Attach
10. No objection certificate from the concerned Registrar of Firms or Registrar of Companies(LLP); Attach
11. No objection certificate/Consent given by secured creditors; Attach
12. Statement of accounts of the company, prepared not later than 30 days preceding the date of application duly certified by auditor; if applicable Attach
13. Copy of the resolution declaring the amount of guarantee; Attach
14. *Undertaking for compliance with requirements of Indian Stamp Act, 1899 Attach
15. *a copy of latest Income Tax Return of the firm Attach
16. Optional attachment(s) (if any)

Remove Attachment

Declaration

I * ______________________, a person named in the articles as a ______________ declares that all the requirements of The Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I am authorized by other promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association and the first directors to give this declaration and to sign and submit this Form.It is further declared and verified that

1. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.
2. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

***To be digitally signed by**

*Designation ______________ DSC BOX

*DIN of the director; DIN or PAN of the manager; or Membership number of company secretary ______________

Certificate by practicing professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder relevant to this form and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company/applicant which is subject matter

I further certify that:

i. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;

ii. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

*To be digitally signed by DSC BOX

* ◯ Chartered accountant (in whole-time practice) or ◯ Cost accountant (in whole-time practice) or

◯ Company secretary (in whole-time practice)

* Whether associate or fellow ◯ Associate ◯ Fellow

* Membership number

* Certificate of practice number

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

Modify Check Form Prescrutiny Submit

For office use only:

Affix filing details

eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This e-Form is hereby registered Confirm submission

Date of signing (DD/MM/YYYY)

[F. No. 1/ 35 /2013 CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note: — The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 257(E), dated the 31st March, 2014.